BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 16 अप्रैल 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त पंकज उर्फ छोटू पुत्र जयप्रकाश निवासी ज्ञानलोक कॉलोनी कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में अपनी पत्नी आरती से अतिरिक्त दहेज की मांग करना व मांग पूरी न होने पर प्रताडित कर गले में फंदा लगाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 09.08.2020 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 584/20 धारा 498ए, 304बी भादवि ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 25.09.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 16.04.2025 को न्यायाधीश श्री गोपाल (मा0 न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पंकज उपरोक्त को 07 वर्ष का कारावास व 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवीन कुमार राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर